

लोक-सभा वाद-विवाद

2nd Lok Sabha



(खण्ड १ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में)

तीन शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	२५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२५, ३७-३८
राष्ट्रपति का अभिभाषण	२५—३१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३१
स्थगन प्रस्ताव—	
पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को सहायता	३१—३३
पश्चिमी बंगाल में अकाल की स्थिति	३४-३५
कुछ मूर्तियों का हटाया जाना	३५-३६
देश की खाद्य स्थिति	३६
बर्मा शैल के कर्मचारियों की हड़ताल	३६-३७
प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम १८६७ तथा भारतीय डाक घर नियमों	
के संशोधन के सम्बन्ध में याचिका	३८
कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) विधेयक पुरःस्थापित	३८-३९
दैनिक संक्षेपिका	४०—४२

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, १३ मई, १९५७

लोक-सभा बारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
(प्रश्न नहीं थे)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

† अध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों ने अब तक शपथ नहीं ली है वह अब शपथ लेंगे।

श्री रा० स० तिवारी (खजुराहो)

श्री अमजद अली (धुबरी)

श्री दि० ना० सिंह (पपरी)

श्री वे० प० नायर (क्विलोन)

श्रीमती केसरकुमारी देवी (रामपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

श्री मु० खुदाबक्श (मुर्शिदाबाद)

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—पूर्व)

श्री सु० चं० चौधरी (दुमका)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रपति का अभिभाषण

† सचिव : श्रीमान्, मैं १३ मई, १९५७ को एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

अभिभाषण

राष्ट्रपति : संसद् के सदस्यगण, देश के लगभग २० करोड़ निर्वाचकों द्वारा चुने गए आप लोगों ने और राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों ने, हमारे संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार, एक बार फिर इस गणराज्य के राष्ट्रपति के उच्च पद के लिए मुझे चुना है। मैं इस आदर से पूरी तरह अभिज्ञ हूं और आपने जो विश्वास मुझ में प्रकट किया है उसके लिए आपका आभारी हूं। मेरा यह प्रयत्न रहेगा कि जिस विश्वास और प्रेम का इतने समय से मैं पात्र रहा हूं, सदा उसके योग्य बना रहूं।

† मूल अंग्रेजी में।

[राष्ट्रपति]

हमारे गणराज्य के इतिहास में यह दूसरी संसद् है और इसके सदस्यों के रूप में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप में से कुछ लोग संसद् के किसी एक सदन के सदस्य रहे हैं अथवा राज्यों के विधान मंडलों से बहुमूल्य सांसद अनुभव अपने साथ लेकर आए हैं। आप लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो संसद् के लिए पहली बार चुने गए हैं। आप सब को अपने जीवन में तथा संसद् के सदस्य के रूप में इस संसद् के अन्दर और चुनाव क्षेत्रों में अपने देशवासियों की सेवा के रचनात्मक काम के लिए विभिन्न और व्यापक अवसर मिलेंगे।

हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यह दूसरा साल है। योजना के पहले वर्ष में हमारी गति अनिवार्य रूप से कुछ मन्द हुई है, जिसका कारण किसी हद तक राज्यों का पुनर्गठन है। इसके कारण हम पर अधिक दबाव पड़ा है और इस बात की आवश्यकता है कि योजना की शेष अवधि में सरकार और जनता द्वारा और अधिक परिश्रम किया जाए। मेरी सरकार इस बात को भली प्रकार जानती है।

देश की आर्थिक स्थिति, विशेषकर योजना से सम्बन्ध रखने वाली बातें जो इस समय हमारे सामने हैं, गम्भीर चिन्तन का विषय हैं और मेरे मन्त्रियों का ध्यान उस ओर है, किन्तु इस स्थिति को भयावह कहना गलत होगा। केन्द्रीय और राज्यों के घाटे के बजट, योजना की आवश्यकताएं, विदेशी विनिमय के साधनों का अभाव और कुछ बाहरी मामले इस बात की मांग करते हैं कि हम दृढ़ और योजनाबद्ध प्रयत्न करें। आवश्यकता इस बात की है कि हम साधनों को सुरक्षित रखें और मितव्ययता द्वारा कुछ चीजों के आयात पर प्रतिबन्ध, निर्यात व्यापार के विस्तार और उद्योग तथा कृषि के क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता में वृद्धि द्वारा इन साधनों का विस्तार करें। इस बात की भी जरूरत है कि उत्पादक कार्यों के लिए धन जुटाया जाय, अनोत्पादक कामों को हाथ में न लिया जाए और अतिसंग्रह और सट्टे की समाज-विरोधी प्रवृत्तियों का दमन किया जाय। केवल सरकार द्वारा ही नहीं बल्कि जनता द्वारा भी प्रयत्न करने और सावधान रहने से ही इस काम में ठोस सफलता प्राप्त हो सकती है।

जिन कमियों का मैंने जिक्र किया है उन्हें दूर करने का अधिक आसान तरीका यह हो सकता है कि हम निर्माण-सम्बन्धी काम को स्थगित कर दें पर वह तरीका रचनात्मक या लाभदायक नहीं है, क्योंकि समस्या को सुलझाने का यह सच्चा या स्थायी उपाय नहीं है। हमें अधिक उत्पादन करने और निर्माण-कार्य में सुधार को बनाए रखने के लिए अपने साधनों को जुटाना है और उन्हें सुरक्षित रखना है। मेरी सरकार इस समस्या और इसके लिए आवश्यक प्रयत्न से पूर्ण रूप से अवगत है। उसे इस बात की भी चिन्ता है कि इन तात्कालिक कठिनाइयों के कारण उन्नति के मार्ग में बाधा न पड़ने पावे और जहां जैसी जरूरत हो कार्यप्रणाली में संशोधन द्वारा या योजनानुसार साधनों को जुटा कर उन कठिनाइयों पर काबू पाया जावे और किसी भी अवस्था में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और विकास की गति धीमी न होने दी जावे।

ऐसे प्रयत्न की सफलता में जनमत का बहुत बड़ा स्थान है, और यह प्रायः निर्णायक सिद्ध होता है। जनसाधारण का दृढ़ निश्चय और जोश, अनुशासन में रहने के लिए उनकी तत्परता, प्रयत्नों के लिए आवाहन का स्वागत और समाज-विरोधी व्यवहार, जैसे अतिसंचय, फिजूलखर्ची आदि की रोकथाम करने का उनका संकल्प ही देश के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के इस संकटकाल को पार करने में सहायक होगा।

संसद् के सदस्यगण, इस सम्बन्ध में मेरी सरकार जो नीति अपनायेगी तथा प्रयास करेगी, जिनके द्वारा कठिनाइयाँ दूर कर हमें सफलता प्राप्त करनी है, उस नीति के समर्थन के लिए विशेष तथा सतत प्रयत्न की देश आप से बहुत आशा करता है।

यद्यपि अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई है और दैवी विपत्तियों के कारण जो हानि हुई है, विशेषकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, उसे छोड़ कर वृद्धि बराबर बनी रही है, हमें खाद्य के सम्बन्ध में देश को आत्म-भरित बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। अनाज की चढ़ी हुई कीमतों के गिरने के कुछ लक्षण दिखाई दिये हैं और मेरी सरकार वे कीमतों को कम करने के लिए बहुत से उपाय किये हैं। भरपूर प्रयत्नों के फलस्वरूप अनाज का उत्पादन बढ़ा है और फसल में सुधार हुआ है। कुछ मोटे अनाजों को छोड़कर, जिन पर जलवायु का बुरा प्रभाव पड़ा है, अनुमान है कि दूसरे अनाजों का उत्पादन यही नहीं कि कम नहीं हुआ बल्कि पहले से बहुत बढ़ा भी है।

अभी जो अभाव है उसे दूर करने और कीमतों में तेजी रोकने के लिए सुरक्षित अन्न भण्डार तैयार करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने विदेशों से अनाज आयात करने की व्यवस्था की है। अनाज भण्डार बनाने का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। अनाज की कीमतों में तेजी रोकने के लिए, जो स्थिति अभाव की आशंका और घबराहट तथा अतिसंचय करने की प्रवृत्ति से पैदा होती है, जनता का रुख निर्णायक होता है और उसका बहुत महत्व है। सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनके परिणाम स्वरूप और उत्पादन में वृद्धि के कारण खाद्य की स्थिति ऐसी नहीं है कि जनता किसी भी प्रकार के अविश्वास की भावना को स्थान दे। अनाज की उपलब्धि और आवश्यकता के बारे में मेरी सरकार का यह विचार है कि वह समय समय पर संसद् को खाद्य-स्थिति से अवगत करायेगी। आशा है कि अनाज के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त होने से निराधार आशंका, कृत्रिम अभाव और कीमतों की तेजी—इन तीनों की रोक-थाम हो सकेगी।

मेरी सरकार को यह बताने में खुशी होती है कि सामुदायिक योजना सम्बन्धी कार्यक्रम में उन्होंने अनाज के उत्पादन पर जोर देने का निश्चय किया था, उसके फलस्वरूप बहुत लाभ हुआ है। सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विकास सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। खेती, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई के क्षेत्रों में हमारे जो लक्ष्य थे, सफलता उनसे भी अधिक रही है। राष्ट्रीय निदर्शन अधीक्षण (नैशनल साउपल सर्वे) के अनुसार, पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तिम काल में, सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विकास सेवा मंडलों के क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन सारे देश के मुकाबले में प्रायः २५ प्रतिशत अधिक हुआ। सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विकास सेवा के अन्तर्गत इस समय २,२२,००० ग्राम हैं।

सरकारी व्यवसायों की उल्लेखनीय उन्नति रही है और प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा। व्यवसाय के निजी क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है। एक परिणियत संस्था के रूप में, खादी और ग्रामोद्योग कमिशन की नियुक्ति से, ग्रामीण-उद्योगों तथा खादी को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। नई बड़ी योजनाओं में, जिस योजना का हाल ही में उद्घाटन होने जा रहा है वह निविलो लिग्नाइट योजना है, जिस पर कार्य इसी महीने आरम्भ हो रहा है। मेरी सरकार भारी मशीनों के निर्माण के लिए कारखाने की स्थापना को महत्वपूर्ण मानती है और इस दिशा में कार्यवाही कर रही है।

[राष्ट्रपति]

विदेशी विनिमय के साधनों पर दबाव कम करने के लिये, बड़ी योजनाओं के सम्बन्ध में मेरी सरकार ने बाद में दाम चुकाने की व्यवस्था की है। कुछ योजनाओं के सम्बन्ध में दीर्घकालीन उधार की व्यवस्था की जा रही है।

राज्यों के पुनर्गठन के बाद संघीय प्रदेशों के लिए परामर्श-दात्री समितियां नियुक्त की गई हैं और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा के लिए प्रदेशीय परिषदों की स्थापना की गई है। दिल्ली के लिए शीघ्र ही एक निगम स्थापित होगा। लखदीव, मिनिकोय और अमनदीव द्वीपों को मिलाकर एक नवीन संघीय प्रदेश बनाया गया है और अण्डमान द्वीपों के लिये पंचवर्षीय योजना में ५,६२,५०,००० रुपये के खर्च की व्यवस्था की गई है, जिससे और कामों के अतिरिक्त इस द्वीप समूह और भारत के बीच यातायात की उचित, व्यवस्था भी की जायगी।

जहाज-घाटों और आधुनिक ढंग के जहाजों के निर्माण के काम में भी विशाखपट्टणम में बहुत प्रगति हुई है और एक दूसरे जहाज-घाट के निर्माण की योजना इस समय हाथ में है।

मेरी सरकार ने हाल ही में घरों की कमी दूर करने और निवास-सम्बन्धी स्तर को ऊंचा करने, गन्दी बस्तियों में सुधार करने, बगीचों में घरों की व्यवस्था करने और औद्योगिक क्षेत्रों में तथा कम आमदनी वाले लोगों के लिये घरों की व्यवस्था करने के लिये कुछ कदम उठाये हैं। दिल्ली और भारत के दूसरे बड़े शहरों में गन्दी बस्तियों में सुधार करने की तात्कालिक आवश्यकता है और इस समस्या पर केन्द्रीय सरकार, राज्यों की सरकारें और सम्बन्धित निगम पूरा ध्यान दे रहे हैं।

संसद् के पिछले सत्र के बाद दो अध्यादेश जारी किये गये हैं। तत्सम्बन्धी विधेयक संसद् के सामने रखे जायेंगे। वे इस प्रकार हैं :

(१) जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश, १९५७।

(२) औद्योगिक झगड़े (संशोधन) अध्यादेश, १९५७।

चालू सत्र में मेरी सरकार संसद् के समक्ष कई और विधेयक प्रस्तुत करेगी।

१९५७-५८ का आय-व्यय सम्बन्धी अन्तरिम विवरण संसद् के पिछले सत्र में पेश किया गया था और मतदान द्वारा वर्ष के एक भाग के लिये खर्च की मंजूरी ली गई थी। आय-व्यय का वह विवरण आवश्यक संशोधनों के साथ संसद् के सत्र में फिर पेश किया जायगा, और वर्ष भर के खर्च के लिये संसद् का अनुमोदन प्राप्त किया जायगा।

विदेशों से हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण चले आ रहे हैं। संसद् के समक्ष पिछली बार मैंने जब भाषण दिया था उसके बाद हमें पोलैंड के प्रधान मंत्री, श्री जोसेफ सिरंकीविज, संघीय जर्मन गणतन्त्र के विदेश मन्त्री, डा० हेनरीश वान ब्रेंटानो और चिली के विदेश मन्त्री, श्री ओस्काल्डो सेन्ट मेरी का भारतीय गणराज्य के अभ्यागतों के रूप में स्वागत करने का सौभाग्य हुआ है।

जून के अन्त में लन्दन में होने वाले राष्ट्रमंडलीय प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में मेरे प्रधान मंत्री भाग लेंगे। इस विदेश प्रवास के समय वे सीरिया, डेन्मार्क, फिन्लैंड, नार्वे, स्वीडन, नैदरलैंड, मिस्र और सूडान की भी यात्रा करेंगे।

मध्यपूर्व में स्थिति संतोषजनक नहीं और वह तनाव बराबर बना है, फिर भी यह हर्ष का विषय है कि स्वेज नहर जहाजरानी के लिये फिर से खुल गई है। नहर खोलने से पहले मिस्र की सरकार ने एक घोषणा की थी जो १८८८ की संप्रतिज्ञा को पुष्ट करती है और अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र के सिद्धान्तों का मिस्र द्वारा अनुसरण करने का दृढ़ निश्चय प्रकट करती है। मेरी सरकार उस घोषणा का स्वागत करती है। उस घोषणा में यह व्यवस्था की गई है कि संप्रतिज्ञा की व्याख्या अथवा उसके लागू किये जाने के सम्बन्ध में और कुछ जरूरी मामलों के बारे में जो विवाद पैदा हों उन्हें निर्णय के लिये विश्व न्यायालय के सामने पेश किया जाय और इस न्यायालय के फैसले को बाध्य समझा जाय। मेरी सरकार की राय में उस घोषणा की प्रमुख धारारें युक्तिसंगत हैं और यदि सभी संबंधित पक्ष पारस्परिक सद्भावना तथा सहयोग की भावना से उन पर अमल करें, वे संसार के राष्ट्रों के उचित हितों की रक्षा करने के लिये काफी हैं। इस घोषणा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यद्यपि यह मिस्र की सरकार द्वारा की गई है, उसने यह घोषित किया है कि इस घोषणा का दर्जा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का होगा और यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में दर्ज कर दी गई है। मेरी सरकार का विचार है कि इस घोषणा और इसके अन्तर्राष्ट्रीय कानून के दर्जे ने उस क्षेत्र में तनाव की भावना को कम करने के मार्ग को प्रशस्त किया है और उसके द्वारा उन सभी समस्याओं को सुलझाने का जो स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद पैदा हुई थीं, रास्ता निकल सकेगा।

सुरक्षा-परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष, डा० गुनार यारिंग ने, २१ फरवरी को काश्मीर संबंधी विवाद के अन्त में सुरक्षा-परिषद् द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव के अनुसार, पाकिस्तान और भारत की यात्रा की। डा० यारिंग दो बार भारत आये और उन्होंने मेरे प्रधान मंत्री से बातचीत की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सुरक्षा-परिषद् को दे दी है।

निःशस्त्रीकरण कमिशन की उप-समिति की बैठक कुछ समय से लन्दन में हो रही है, किन्तु, निःशस्त्रीकरण के किसी भी पहलू पर अभी कोई समझौता हुआ नहीं जान पड़ता है। आणविक तथा परमाणविक शस्त्रों के विस्फोट रोकने के सम्बन्ध में भी कोई समझौता नहीं हुआ है। निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में मेरी सरकार के प्रस्ताव एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के द्वारा अन्य प्रस्तावों के साथ निःशस्त्रीकरण कमिशन के पास भेज दिये गये।

इस बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ और अब ब्रिटेन भी सार्वजनिक विध्वंस के इन शस्त्रों के विस्फोट-सम्बन्धी प्रयोग करते रहे हैं। इन विस्फोटों का विषैला प्रभाव संसार के विभिन्न भागों में अधिकाधिक देखा जाने लगा है और विश्व जनमत इन विस्फोटों द्वारा होने वाली हिंसा से चिन्तित हो उठा है। इन विस्फोटों के बन्द करने की मांग व्यापक है और आणविक शक्तियों को इस से बराबर अवगत किया जा रहा है, किन्तु अभी तक इसका कुछ परिणाम नहीं निकला।

मेरी सरकार का मत है कि विभिन्न देशों द्वारा इन विस्फोटों को सीमाबद्ध और पूर्वसूचित करने के सम्बन्ध में जो सुझाव किये गये हैं, उन को यह आशा नहीं होती कि विस्फोटों के हानिकर प्रभावों से वे संसार को सुरक्षित रख सकेंगे अथवा इस विध्वंसक शस्त्रों के बहिष्कार का मार्ग खोज सकेंगे। इसके विपरीत, इन प्रयोगों के किसी भी प्रकार के नियमन का एक मात्र परिणाम यह होगा कि लोग आणविक तथा परमाणविक युद्ध को न्यायोचित और विश्व जनमत द्वारा समर्थित समझने लगेंगे। युद्ध के अधिक से अधिक घातक शस्त्रों के प्रयोग की खबरें बराबर आ रही

[राष्ट्रपति]

हैं। संतोष की बात केवल यही है कि संसार का जनमत इन प्रयोगों का आज पूर्वपेक्षित अधिक विरोधी है। अप्रैल, १९५४, में मेरे प्रधान मंत्री ने, लोकसभा के सामने एक वक्तव्य में इन विस्फोटों की रोक के सम्बन्ध में “यथा स्थिति” समझौते के रूप में कुछ प्रस्ताव रखे थे। तब से इन प्रस्तावों को विभिन्न देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है और काफी जनमत इनके पक्ष में है। विश्व के दूसरे राष्ट्रों के साथ, मेरी सरकार इन प्रयोगों की रोक-थाम और आणविक तथा परमाणविक शस्त्रों के बहिष्कार के लिये दूसरे राष्ट्रों और विश्व-परिषदों के समक्ष बराबर अपना प्रभाव डालती रहेगी।

आज हम उस महान विद्रोह के पूरे एक सौ वर्ष बाद मिल रहे हैं जो मेरठ में आरम्भ हुआ था और बाद में भारत के अधिकांश भागों में फैल गया था : इस देश में विदेशी शासन को वह पहली प्रमुख चुनौती थी और इसके कारण कुछ विभूतियां प्रकाश में आयीं जो हमारे देश के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इस विद्रोह का नृशंसता के साथ दमन किया गया, किन्तु स्वाधीनता की भावना और विदेशी शासन से मुक्त होने की इच्छा दबाई नहीं जा सकी और बाद में अनेक अवसरों पर वह उभरती रही। अंत में, उस ने एक महान राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप लिया, जो अहिंसा और शांति के सिद्धांतों पर चला और जिसके फल-स्वरूप हम स्वाधीनता प्राप्त करने और भारतीय गण-राज्य की स्थापना करने में सफल हुये। उन सब के प्रति, जिन्होंने भारत को स्वतन्त्र बनाने के लिये जीवन की आहुति दी अथवा नाना प्रकार के कष्ट सहें, हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

भारत को स्वाधीन हुये आज करीब १० वर्ष हो चुके हैं और इस अवधि में संसद् देश की जनता की उन्नति तथा कल्याण और विश्व में सहयोग तथा शांति स्थापन के लिये प्रयत्नशील रही है। इन प्रयत्नों का फल काफी ठोस रहा है जो हमें इस देश में चारों ओर दिखाई देता है। इन वर्षों में जो चहुंमुखी उन्नति हम ने की है उससे लोगों में आशा और आत्म-विश्वास की भावना पैदा हुई है। भावी निर्माण और विकास की यह सुदृढ़ नींव है।

देश के बाहर मेरी सरकार का यह जोरदार प्रयत्न रहा है कि संसार में तनाव की भावना को कम किया जाय और विश्व-शान्ति के पक्ष को दृढ़ बनाया जाय। इस विचारधारा के परिणाम-स्वरूप, अपनी नीति को स्वाधीन रखने के लिये और कोरिया, इण्डो-चाइना और अब मध्यपूर्व में भी शान्ति की स्थापना में योगदान देने के लिये, हमारे देश ने भारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली हैं।

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में हमारे सामने जो काम हैं वे बहुत अधिक ही नहीं, कभी कभी बहुत भारी भी दिखाई देते हैं। किन्तु, यदि स्वाधीनता को देश के लोगों के लिये वरदान बनाना है और यदि सतत तनाव और भावी विभीषिका से संसार को मुक्त कराने में हमें सहायक होना है, तो ये सब काम हमें करने होंगे, कठिनाइयों पर विजय पानी होगी और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किये हैं उन्हें प्राप्त करना होगा।

इन सभी दिशाओं में मेरी सरकार बराबर यथा-शक्ति प्रयत्न करती रहेगी। यह धारणा कि उसे देश की जनता का समर्थन प्राप्त है और यह अडिग विश्वास कि युद्ध के उमड़ते हुये बादलों और निराशा के बावजूद भी मानव जाति में प्रगति करने और जीवित रहने की नैसर्गिक आकांक्षा है, मेरी सरकार का बल है। हमारी क्षमता और साधन सीमित हैं और संसार में हमारी आवाज संभवतः बहुत ऊंची नहीं है, किन्तु, राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से, हमारे इतिहास और परम्पराओं

तथा विश्वासों को देखते हुये हम किसी और रास्ते को नहीं अपना सकते । यह सौभाग्य का विषय है कि संसार भर के सभी लोगों का यह सामान्य ध्येय और उत्कट इच्छा है ।

संसद् के सदस्यगण, मैं आपके प्रयत्नों में आप सब की सफलता की कामना करता हूँ ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

† सचिव : श्रीमान् मैं १८ मार्च, १९५७ को प्रथम लोक-सभा को दी गई सूचना के बाद निम्न ९ विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूँ जिन्हें संसद् के सदनों ने प्रथम लोक-सभा के पन्द्रहवें सत्र में पारित किया था और जिन पर राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी है ।

१. विनियोग विधेयक, १९५७
२. विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५७
३. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७
४. केरल विनियोग विधेयक, १९५७
५. वित्त विधेयक, १९५७
६. विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५७
७. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५७
८. केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७
९. विनियोग (रेलवे) (लेखानुदान) विधेयक, १९५७

मैं, १८ मार्च, १९५७ को प्रथम लोक-सभा को दी गई सूचना के बाद राज्य सभा के सचिव द्वारा प्रमाणीकृत निम्न २ विधेयकों की प्रतियाँ भी सभा पटल पर रखता हूँ, जिन्हें संसद् के सदनों ने प्रथम लोक-सभा के पन्द्रहवें सत्र में पारित किया था और जिन पर राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी है :—

१. समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५७
२. विदेशी व्यक्तियों सम्बन्धी विधि (संशोधन) विधेयक, १९५७

स्थगन प्रस्ताव

पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को सहायता

† अध्यक्ष महोदय : मुझे सात स्थगन प्रस्तावों की पूर्व सूचनायें मिली हैं । पहले प्रस्ताव की श्री त्रि० कु० चौधरी तथा श्री घोषाल ने पूर्व सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि पूर्वी बंगाल से आये उन शरणार्थियों की बहुत बुरी दशा है जिन्हें बेतिया भेज दिया गया था और जिन्हें अब मजबूर होकर कलकत्ता वापस आना पड़ा है जहां भूख और बीमारी के कारण उनमें से बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही है परन्तु पुनर्वास मंत्रालय इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है ।

† पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : श्रीमान् मैंने पश्चिमी बंगाल सरकार तथा बिहार सरकार से पूछा था और मुझे यह जानकारी मिली है कि बिहार तथा हावड़ा मैदान में भुखमरी तथा कुपोषण के कारण किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। कुदरती मौतें जो होती हैं वही हो रही हैं। इन दोनों राज्यों में व्यक्तियों की मौतों के प्रतिशतता, मेरी सूचना अनुसार किसी हालत में सामान्य प्रतिशतता से अधिक नहीं है।

† श्री त्रि० कु० चौधरी (बरहामपुर) : मैंने बिहार में हुई मौतों के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैंने प्रस्ताव कलकत्ते के हावड़ा मैदान, तथा सियालदा रेलवे स्टेशन, के अहाते में रहने वाले शरणार्थियों के बारे में दिया है। मैं मंत्री महोदय के कथन को सच नहीं मान सकता क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वहां पर अश्रुमयों को मरते देखा है।

† श्री मेहरचन्द खन्ना : मैंने बिहार का प्रश्न इसलिये उठाया है क्योंकि माननीय सदस्य ने अपने स्थगन प्रस्ताव में बताया है कि बिहार में दशा खराब होने से वहां से लोग बंगाल चले आये हैं। मैं यह बताना चाहता था कि बिहार में हालत अच्छी है तथा वहां मौतें नहीं हुई हैं।

बंगाल के बारे में भी मैं अभी बता चुका हूं कि स्थगन प्रस्ताव में बताई गई बातों के कारण हावड़ा मैदान में भी कोई मौत नहीं हुई है।

† अध्यक्ष महोदय : क्या १०,००० शरणार्थियों को दी जाने वाली सहायता हाल ही में रोक ली गई है ?

† श्री मेहर चन्द खन्ना : सहायता उस व्यक्ति को दी जाती है जो हमारे शिविर में आते हैं। यह व्यक्ति हमारे बोटिया शिविर में थे। उनकी संख्या लगभग २८,००० थी। उनको उचित सहायता दी जा रही थी। यहाँ तक कि इनके लिये हमने खाद्यान्नों पर ४०,००० रुपये खर्च किये जो हमको 'केयर' (सर्वत्र अमरीकी विप्रेषण सहकारिता-संघ) द्वारा इन व्यक्तियों को दिये जाने के लिये दिये गये थे। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि यह व्यक्ति जून १९५६ को बतियां गये थे और लोगों ने बड़ी संख्या में वहाँ से फरवरी १९५७ के अन्त में आना शुरू किया।

† अध्यक्ष महोदय : क्या यह सहायता अब वहां नहीं दी जाती है ?

† श्री मेहर चन्द खन्ना : शिविर में रहने वाले व्यक्तियों को सहायता दी जाती है। यदि यह सभी व्यक्ति वापस बेंतिया चले जावें तो उनको सहायता मिलने लगेगी। हम सहायता देने से इन्कार नहीं कर रहे हैं।

श्री त्रि० कु० चौधरी : मेरा यह निवेदन है कि कुछ दिन पूर्व पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने बताया था कि उनको इन व्यक्तियों को सहायता देने की सुविधायें नहीं हैं तथा यह सभी केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं। मेरा यह कहना है कि केन्द्रीय सरकार उनको सहायता नहीं दे रही है।

† श्री मेहर चन्द खन्ना : कुछ दिन बाद आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी तब इन मामलों पर विचार किया जा सकता है। यह मामला लोक महत्व का नहीं है क्योंकि भूख आदि से कोई मौत नहीं हुई है।

† मूल अंग्रेजी में :

†श्री त्रि० कु० चौधरी : माननीय मंत्री का यह कहना युक्ति संगत नहीं है कि यह मामला लोक-महत्व का नहीं है। उनका वक्तव्य तथ्यों पर आधारित नहीं है।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : मैंने सिर्फ यह कहा है कि माननीय सदस्य का यह आरोप गलत है कि भुखमरी तथा कुपोषण से मौतें हुई हैं।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, प्रस्तुत प्रश्न मुझे एक सीधा और सरल प्रश्न प्रतीत होता है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन व्यक्तियों को हावड़ा मैदान अथवा सियालदा स्टेशन पर बहुत दुख उठाने पड़े हैं। इन व्यक्तियों को शिविर में पहुंचते ही सहायता मिल सकती है। हम सड़कों तथा अन्य स्थानों पर सहायता नहीं दे सकते हैं। ज्योंही वे वापस शिविर में जायेंगे उनको सहायता मिल जायगी। यदि यह कहा जाय कि वह शिविर अच्छा नहीं है तथा उसकी व्यवस्था अच्छी नहीं है अथवा सहायता ठीक प्रकार से नहीं दी जा रही है तो यह मामला शिविर की जांच करने का है। हमने जांच की है। समाचार-पत्रों के संवाददाता वहां गये, और लोग भी वहां गये तथा माननीय सदस्य भी वहां जा कर देख सकते हैं। हमारा विचार है कि यह एक अच्छा शिविर है और छोटी छोटी शिकायतों पर शिविर में कार्यवाही की जा सकती है। कलकत्ते जैसे बड़ी आबादी वाले शहर में एक साथ इतने लोगों के आने से और हावड़ा मैदान अथवा सियालदा स्टेशन के अहाते में बैठ कर तथा सरकार को बाध्य करके कि वह उनको वहां खाना दे, इन शिकायतों को दूर नहीं किया जा सकता। जैसा कि सभी जानते हैं बंगाल ने कई प्रकार से बहुत हानि उठाई है। जब इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थी वहां आ जायें तो हम उनको दूसरे स्थानों पर ही बसा सकते हैं। जितने संभव थे उतने बंगाल में बसाये जा चुके हैं। और अब वहां जगह नहीं है। हमने अन्य राज्य सरकारों की सहायता से उनको अन्य स्थानों पर बसाने की व्यवस्था की है। हम उनको बसा रहे हैं तथा इस समस्या को प्रतिदिन हल किया जा रहा है। यदि यह शरणार्थी फिर भी बंगाल में जा रहे हैं अथवा बंगाल में जाने के लिये प्रोत्साहित किये जा रहे हैं तो फिर कठिनाइयां होंगी ही। हमें इसका बड़ा खेद है। उनके लिए यह ठीक होगा कि वह वापस जायें तथा खाद्यान्न आदि की सभी प्रकार की सुविधाओं का उपयोग उठायें। वहां बैठे बैठे, सहायता की आशा करने से वह समस्या को और अधिक जटिल बना देते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस मामले का संबंध है कैम्प में रहने वाले लोगों को तो सहायता दी ही जा रही है। जो लोग कैम्प छोड़ चुके हैं वे भी सहायता चाहते हैं। इसमें केन्द्रीय सरकार का अपने दायित्वों और आश्वासनों से मुंह फेर लेने वाली बात तो कोई नहीं है। यदि कुछ लोग कैम्प छोड़ गये और बाद में स्वयं या सरकार की बातों को मानकर अपनी रोटि न कमा सके तो फिर उनकी हालत खराब होगी ही। सरकार तो खाना केवल कैम्प में रहने वालों को ही देगी। खैर, माननीय पुनर्वास मंत्री ने कहा है हम इस विषय पर बहस करने का मौका मिलेगा। १४, १५ और १६ तारीख को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा होगी उसमें इस मामले पर चर्चा करने का भी अवसर मिलेगा। जैसी इस सदन की प्रथा है, जब महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने का अवसर मिल सकता है तो सदन के अन्य सामान्य कार्य स्थगित नहीं हो सकते। इस लिए मैं इस स्थगन-प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता।

पश्चिमी बंगाल में अकाल की स्थिति

†अध्यक्ष महोदय : एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की पूर्वसूचना भी मुझे मिली है। उसका संबंध पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय की उपेक्षा से उत्पन्न हुई खाद्य स्थिति की शोचनीय अवस्था से है। गत एक मास में पश्चिमी बंगाल के १४ में से ११ जिलों में लगातार बाढ़ों और रबी फसल तथा अन्य मुख्य चार फसलों के नष्ट होने तथा कुछ अन्य कारणों से अनाज की कमी हो गयी है। और राज्य सरकार द्वारा कम से कम मात्रा में अनाज का अधिग्रहण कर इसका समुचित प्रबन्ध करना है।

वास्तव में श्री कासलीवाल ने कल या परसों एक पूर्वसूचना दी थी जिसमें देश की खाद्य स्थिति पर सामान्यतः और पश्चिमी बंगाल की स्थिति पर विशेषतः विवाद आरम्भ करने को कहा गया है। इससे सम्बन्धित और प्रश्नों की भी पूर्वसूचना दी जा चुकी है। और मैं ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। उन सब प्रश्नों को एक साथ रख लिया गया है और पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिये जिन सदस्यों ने प्रश्नों की या अन्य प्रकार से चर्चा करने की सूचना दी है मैं उन्हें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। हम मंत्री महोदय से मालूम कर लेते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। फिर इसके बाद १४, १५ और १६ तारीख को इन मामलों पर पुनः चर्चा हो सकेगी। यदि फिर भी इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता महसूस हुई तो फिर मैं इसके लिये अवसर दिये जाने पर विचार करूंगा। मैं स्थगन-प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता।

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : देश की खाद्य स्थिति पर कल मैं एक सविस्तार वक्तव्य दे रहा हूँ। उसके आधार पर माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार होगा। वास्तव में खाद्य स्थिति के संबंध में, मैं माननीय सदस्यों का विश्वास प्राप्त करना चाहता हूँ। खाद्य समस्या राष्ट्रीय समस्या है और मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के सुझावों से लाभ उठाने का प्रयत्न करूंगा।

†श्री त्रि० कु० चौधरी (बरहामपुर) : इस सदन की प्रथा यह है कि माननीय मंत्री के वक्तव्य के बाद उस पर प्रश्न नहीं पूछे जाते। क्या इस बार अध्यक्ष महोदय इसकी अनुमति देंगे ?

†श्री अ० प्र० जैन : उस वक्तव्य के आधार पर माननीय सदस्य प्रश्नों की पूर्व सूचना दे सकते हैं।

†श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड़) : प्रसन्नता को बात है कि माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य देने को कहा है। हमारा कहना तो यह है कि वक्तव्य तो बहुत हो चुके हैं और देश की परिस्थिति के अनुसार इस मामले पर चर्चा अभी हो जानी चाहिए। अभी दो दिन हुए केरल राज्य विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया था जिसमें कहा गया है कि वहां खाद्यान्न स्थिति बहुत असंतोषजनक है। बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के समाचारों के अनुसार वहां भी खाद्य स्थिति बहुत खराब है। माननीय मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है वह गलत है। हम जानना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : शायद माननीय सदस्य इस पूर्व कल्पना से आलोचना कर रहे हैं कि वक्तव्य उनके मन का सा नहीं होगा।

†श्री अ० क० गोपालन : मेरे मन का सा होने का प्रश्न नहीं है। मैं श्री कृष्णप्पा और मंत्री महोदय के वक्तव्य प्रस्तुत कर सकता हूँ जिसमें कहा गया है कि स्थिति बिल्कुल ठीक है और कोई चिन्ता की बात नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने सदन के समक्ष वक्तव्य देने के लिये कह दिया है। मैं ने उनसे निवेदन किया था कि वह वक्तव्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा से पूर्व दे दें ताकि उस चर्चा में खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में कोई बात कही जानी हो तो कही जा सके। इस संबंध में जिन प्रश्नों की अनुमति दी गयी है वे भी उन्हें भेज दिये गये हैं ताकि वह उनका उत्तर दे सकें। वक्तव्य तैयार करते समय मंत्री महोदय इस स्थगन प्रस्ताव के विषय पर भी ध्यान देंगे। समुचित उल्लेखों, वक्तव्यों और तथ्यों का ध्यान रख कर पूर्ण विवरण सहित वह अपना वक्तव्य देंगे। इसलिय मैं स्थगन-प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं समझता और उसकी अनुमति नहीं देता।

कुछ मूर्तियों का हटाया जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ मूर्तियों के हटाये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव की पूर्व सूचना भी प्राप्त हुई है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यह कहा गया है कि इसके लिए उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह भी चल रहा है। चूंकि यह मामला शिक्षा मंत्रालय के आधीन है। इसलिय उन्हें उन मूर्तियों को यहां रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह स्थगन-प्रस्ताव सम्बद्ध राज्य में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने से संबंध रखता है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मेरे विचार में अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव अनियमित घोषित कर दिया है। इसके बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इस प्रसंग में यह यहां संगत नहीं है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, स्थगन-प्रस्ताव के प्रसंग के अतिरिक्त कुछ ऐसा विचार भी करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी सदस्य हैं उनमें से उत्तर-प्रदेश का प्रतिनिधित्व केवल वही करते हैं।

जहां तक मूर्तियों के हटाने के इस विषय का संबंध है, जिसमें हम सब लोगों को बहुत रुचि है मैं आपकी अनुमति से इसकी नीति का कुछ उल्लेख करूंगा। भारत के विभिन्न भागों में ब्रिटिश काल में कुछ मूर्तियां लगाई गई थीं। यह मूर्तियां कई प्रकार की हैं। कुछ ऐतिहासिक हैं और कुछ कलापूर्ण और कुछ ऐसी हैं जिनसे हमारी भावनाओं को आघात पहुंचता है और जिन्हें हम घृणा से देखते हैं। हमारी सामान्य नीति सब से पहले इस श्रेणी की मूर्तियों को हटाने की है जिन्हें हम घृणा से देखते हैं। यह काम हम शनैः शनैः और बिना शोरगुल किये करना चाहते हैं ताकि देशों में कोई वैमनस्थ पैदा न हो।

हम ने उन मूर्तियों में से कुछ को हटा दिया है और हमारा विचार इस कार्य को जारी रखने का है। कुछ ऐसे लोगों की मूर्तियां हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है परन्तु जिन से हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती। उन्हें हम हटा कर ऐतिहासिक संग्राहालय में रखेंगे। कुछ ऐसी हैं जिन का इतिहास अथवा कला की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। मुझे पता नहीं कि हम उन का क्या करेंगे। यदि कोई चाहेगा तो हम उन्हें उसे भेंट कर देंगे। ऐसी मूर्तियों के बाद में जिनसे हमारी भावनाओं पर आघात पहुंचता है उनका बारे में हम विचार करेंगे। हम इन सब बातों पर इसी तरीके से विचार करेंगे जिससे किसी भी प्रकार का कोई अन्तर्राष्ट्रीय मनमुटाव न हो या पुरानी बातें दोबारा न उठें।

***श्री डांगे (बम्बई नगर-मध्य)** : स्पष्टीकरण के लिये पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इन तीनों वर्गों की मूर्तियों की गणना करायेगी और बाद में यह जानकारी सभा-पटल पर रखेगी ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह बात सभा को बताना चाहता हूँ कि ये सब मूर्तियाँ नहीं हैं इनमें से बहुत से चित्र भी हैं और कई चित्रकला की दृष्टि से महान हैं। कई बार उनके बदले में हमने भारतीय कला की बहुत सी वस्तुएँ ली हैं। इस प्रकार हम ने इस चीज से फायदा उठाया है।

†श्री एन्थनी पिल्ले (मद्रास-उत्तर) : माननीय सदस्य श्री राजू ने कहा था कि उनका स्थगन प्रस्ताव पढ़ा जाय किन्तु श्रीमान् आपने उस संक्षेप में से ही बताया है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। मुझे इस सभा के सामने भी रखने की जरूरत नहीं थी। मैं ने तो इसलिये संक्षेप से कहा ताकि सरकार का दृष्टिकोण भी लोगों को मालूम हो जाय।

देश की खाद्य स्थिति

देश की खाद्य स्थिति के बारे में एक और स्थगन-प्रस्ताव है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि माननीय मंत्री इसके बारे में भी कल वक्तव्य देंगे। यदि फिर भी माननीय सदस्यों को सन्तोष न हो तो इस मामले पर बाद में विचार किया जायगा। मैं सार प्रश्नादि माननीय मंत्री को भेज रहा हूँ। माननीय मंत्री उन बातों का ध्यान रखेंगे।

श्रीरामजी वर्मा ने भी खाद्य स्थिति के संबंध में स्थगन-प्रस्ताव की पूर्वसूचना दी है। एक पूर्वसूचना श्री एन्थनी पिल्ले ने दी है।

बर्माशैल के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

†अध्यक्ष महोदय : श्री एन्थनी पिल्ले का स्थगन-प्रस्ताव बर्मा शैल के कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल के सम्बन्ध में है। उनका कहना है कि चूंकि बर्मा शैल के हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर देने का नोटिस दे दिया गया है इसलिये तेल उद्योग में आम हड़ताल होने की आशंका है। सरकार का इस बात से कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता।

†श्री एन्थनी पिल्ले : औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन सरकार राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्त कर सकती है।

†अध्यक्ष महोदय : क्या यह मांग है ?

†श्री एन्थनी पिल्ले : श्रमिक समझते हैं कि उनके साथ एक पार्श्विक बर्ताव हो रहा है उनकी मांग यह है कि इस मामले को न्यायाधिकरण को सौंपा जाये।

†अध्यक्ष महोदय : सरकार को कहा गया कि यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपा जाये और सरकार ने नहीं सौंपा। क्या यही सरकार का दोष है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : इस सभा में आने से कुछ समय पहले मुझे इस प्रस्ताव की सूचना मिली। उसी समय मुझे दिल्ली प्रशासन से मामले की वास्तविक जानकारी मिली। इस मामले पर दिल्ली प्रशासन कार्यवाही कर रहा है और मुझे इस समय यह पता नहीं है कि किस पक्ष का दोष है और कौनसा पक्ष कैसी बात कर रहा है। किन्तु यह मामला अविलम्बनीय महत्व का तभी कहा जा सकेगा यदि हड़ताली श्रमिकों को कल ही से सेवा मुक्त कर दिया जाये ; तब यह मामला उलझ जायेगा। इस कारण मैं स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करने को तैयार हूँ। दिन में हम देखेंगे कि क्या कोई रास्ता ऐसा निकल सकता है जिससे मामले का हल हो सके। सम्बद्ध व्यक्तियों के

लाभ के लिये मैं प्रस्तावक से कहूंगा कि यदि मेरे हस्तक्षेप से कोई लाभ होता हो तो मैं तैयार हूँ। किन्तु यह बात हड़ताल से पहले की जानी चाहिये थी। उस समय अधिक लाभ हो सकता था। अब भी बहुत सी बातों पर सोचा जायेगा।

†श्री शि० ला० सक्सेना (महाराजगंज) : तेल मजदूर संघ के सचिव ने मुझे बताया था कि उन्होंने मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा था और वह स्वयं उपमंत्री श्री आबिद अली से मिले भी थे। किन्तु कुछ भी नहीं हुआ। इसलिये यह बात सच नहीं है कि पहले सरकार को पता नहीं था।

†श्री नन्दा: पत्र मुझे मिला था। मैंने उसका उत्तर भी दिया था। श्रमिकों के कुछ प्रतिनिधि श्रम उपमंत्री से भी मिले और उन्हें मंत्रणा दी गई। जैसा कि मैंने कहा है कि इस मामले पर दिल्ली प्रशासन गौर कर रहा है। हम हर बात में दखल नहीं दे सकते।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि यदि श्रमिकगण उपमंत्री की मंत्रणा से संतुष्ट नहीं थे तब उन्हें मंत्री के पास जाना चाहिये था। माननीय मंत्री अब भी हस्तक्षेप करने को तैयार हैं। इसलिये इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : श्रीमान्, मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५० की धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि योजना १९५२ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली अधिसूचना की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस-२/५७]

राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश

†संसद् कार्य-मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमान्, मैं संविधान के अनुच्छेद १२३(२) (क) के उपबन्धों के अधीन, राष्ट्रपति द्वारा प्रथम लोक-सभा के विघटन के बाद प्रख्यापित निम्न अध्यादेशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

१. जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ (१९५७ का संख्या ३) [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस-३/५७]

२. औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ (१९५७ का संख्या ४) [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एस-४/५७]

दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के नियमों में संशोधन

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : श्रीमान्, मैं दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार अधिनियम, १९५० की धारा ५२ की उपधारा (३) के अधीन, दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार (जनरल मैनेजर तथा मुख्य लेखा पदाधिकारी के कृत्य तथा कर्तव्य) नियमों,

१९५२ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली अधिसूचना की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस-५/५७]।

राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : श्रीमान्, मैं राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम, १९५६ की धारा १० के अधीन परिवहन तथा संचार मंत्रालय की तीन अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस-०-६/५७]

राष्ट्रपति की उद्घोषणा

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : श्रीमान्, मैं संविधान के अनुच्छेद ३५६ के खण्ड (३) के अधीन, राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में ५ अप्रैल, १९५७ को निकाली गई उद्घोषणा की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जिसके द्वारा उनकी १ नवम्बर, १९५६ की उद्घोषणा का निरसन किया गया है। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस-७/५७]

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियमों में संशोधन

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : श्रीमान्, मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अधीन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली अधिसूचना की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस-८/५७]।

याचिका

प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम, १८६७ और भारतीय डाकघर नियमों में संशोधन

†श्री विश्वनाथ रेड्डी (राजमपेट) : श्रीमान्, मैं प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम, १८६७ और भारतीय डाकघर नियमों के संशोधन के बारे में एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूँ।

कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) विधेयक*

†इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के आर्थिक हित के निमित्त कोयला खान उद्योग तथा उसके विकास पर अधिक सरकारी नियंत्रण की व्यवस्था करने वाले तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु कोयले के निक्षेपों वाली खाली पड़ी हुई भूमि के या ऐसी भूमि के जिससे कोयला मिलने की संभावना हो, राज्य द्वारा अर्जन किये जाने तथा उस पर अधिकार करने और किसी भी समझौते, पट्टे, अनुज्ञप्ति या अन्य प्रकार के करार से उत्पन्न होने वाले अधिकारों में रूपभेद करने या उन्हें समाप्त करने की तथा तत्सम्बंधी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

† मूल अंग्रेजी में।

* भारत सरकार के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २, दिनांक १३-५-५७ में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि भारत के आर्थिक हित के निमित्त कोयला खान उद्योग तथा उसके विकास पर अधिक सरकारी नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिये तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु कोयले के निक्षेपों वाली खाली पड़ी हुई भूमि के या ऐसी भूमि के जिससे कोयला मिलने की सम्भावना हो, राज्य द्वारा अर्जन किये जाने तथा उस पर अधिकार करने और किसी भी समझौते, पट्टे, अनुज्ञप्ति या अन्य प्रकार के करार से उत्पन्न होने वाले अधिकारों में रूपभेद करने या उन्हें समाप्त करने की तथा तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रीसरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

इसके बाद लोक-सभा मंगलवार, १४ मई, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १३ मई, १९५७]

पृष्ठ

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण २५

८ सदस्यों ने निम्नलिखित भाषाओं में शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया :

- ५ ने अंग्रजी में,
- २ ने हिन्दी में, और
- १ ने मलयालम में

राष्ट्रपति का अभिभाषण २५-३१

सचिव ने १३ मई, १९५७ को एक साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों के समक्ष दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा-पटल पर रखी ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३१

सचिव ने सूचना दी कि पहली लोक-सभा के पन्द्रहवें सेशन में संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित किये गये निम्नलिखित विधेयकों पर राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी थी :—

- (१) विनियोग विधेयक, १९५७ ,
- (२) विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५७
- (३) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७
- (४) केरल विनियोग विधेयक, १९५७
- (५) वित्त विधेयक, १९५७
- (६) विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५७
- (७) अष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५७
- (८) केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७
- (९) विनियोग (रेलवेज) लेखानुदान विधेयक, १९५७

स्थगन प्रस्ताव ३१-३७

(१) प्रधान मंत्री और पुनर्वास मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्यों के बाद अध्यक्ष ने उस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जिसकी पूर्व सूचना सर्व श्री त्रि० कु० चौधरी, सुबिमन घोष और अरविन्द घोषाल द्वारा ११ मई, १९५७ को दी गई थी और जो बेतिया के शरणार्थियों को सरकार द्वारा सहायता दिये जाने के बारे में थी ।

(२) खाद्य तथा कृषि मंत्री ने वक्तव्य देने का जो वचन दिया उसे देखते हुए अध्यक्ष ने उन स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जिन की सूचना

(एक) सर्वश्री त्रि० कु० चौधरी, सुबिमन घोष और अरविन्द घोषाल द्वारा दी गयी थी और जो पश्चिम बंगाल में अकाल की स्थिति के बारे में था,

(दो) श्री डाँगे, तथा अन्य सदस्यों द्वारा दी गयी थी और जो देश में खाद्य स्थिति के तथा देश के अनेक भागों में अकाल की कथित स्थिति के बारे में था,

(तीन) श्री रामजी वर्मा द्वारा दी गयी थी और जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति के बारे में था

(३) अध्यक्ष ने उस स्थगन प्रस्ताव को पेश करने की भी अनुमति नहीं दी जिसकी सूचना श्री वि० राजू द्वारा दी गई थी और जो उत्तर प्रदेश में मूर्तियों को हटाने के बारे में था क्योंकि स्थगन प्रस्ताव का विषय राज्य-सरकार से सम्बन्धित था

(४) श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को देखते हुए अध्यक्ष ने उस स्थगन प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति नहीं दी जिसकी सूचना श्री एन्थनी पिल्ले द्वारा दी गई थी और जो बर्मा शैल कम्पनी के कर्मचारियों की कथित हड़ताल के बारे में था

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

२५, ३७-३८

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रख गये :—

(१) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली १६ मार्च, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ८१५ की एक प्रति

(२) संविधान के अनुच्छेद १२३(२) के उपबन्धों के अधीन प्रथम लोक-सभा के विघटन के बाद से राष्ट्रपति द्वारा लागू किये गये निम्न अध्यादेशों की एक एक प्रति :—

(एक) जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ (१९५७ का संख्या ३)

(दो) औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ (१९५७ का संख्या ४)

(३) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार अधिनियम १९५० की धारा ५२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार (जनरल मैनेजर तथा मुख्य लेखा पदाधिकारी के कृत्य और कर्तव्य) नियमों में आगे कुछ और संशोधन करने वाली ११ जून, १९५६ की अधिसूचना संख्या १८ टी० ए० जी० (१३)/५४ की एक प्रति

(४) राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम, १९५६ की धारा १० के अधीन परिवहन तथा संचार मंत्रालय की निम्न अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :

(एक) १३ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ११८०

(दो) १३ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ११८१

(तीन) १३ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ११८२

(५) संविधान के अनुच्छेद ३५६ क खण्ड ३ के अधीन राष्ट्रपति द्वारा १ नवम्बर, १९५६ को केरल राज्य के बारे में निकाली गयी उद्घोषणा को रद्द करने वाली ५ अप्रैल, १९५७ को उनके द्वारा निकाली गयी उद्घोषणा की एक प्रति

(६) कन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अधीन केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली २७ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १३०३ की एक प्रति

याचिका की उपस्थापना

३८

श्री विश्वनाथ रङ्गी ने प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम, १८६७ और भारत य डाकघर नियमों के संशोधन के बारे में एक व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत की

पुरःस्थापित विधेयक

३८-३९

कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) विधेयक, १९५७

मंगलवार १४ मई, १९५७ के लिये कार्यावलि--

आयव्ययक (रेलवे) १९५७-५८

राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव